बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय प्रबन्ध समिति नियमावली, 1978

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

24 मई 1978

सं० आई/व 9-099/77-शि०—804—राज्य सरकार ने बिहार राज्य के अराजकीय संस्कृत विद्यालय की प्रबन्ध समितियों के गठन संबंधी संलग्न नियमावली का अनुमोदन किया है। यह सम्पूर्ण बिहार राज्य के उप-शास्त्री स्तर तक के मान्यता-प्राप्त सभी अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के लिये आबद्धकर होगी।

2. यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

अध्याय—1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) यह बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत विद्यालय प्रबन्ध समिति नियमावली, 1978 कही जायेगी।

(2) इसका प्रभाव क्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य होगा और राज्य के उप-शास्त्री स्तर तक के सभी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के लिये यह आबद्धकर होगी।

(3) यह नियमावली बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी और इस नियमावली के अन्तर्गत प्रबन्ध समितियों का गठन आरम्भ हो जायेगा। नई समिति के गठन के साथ ही पुरानी समिति या तदर्थ समिति जो जहाँ है स्वत: समाप्त हो जायेगी।

अध्याय—2

परिभाषाएँ—जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो. इस नियमावली में—

(क) "प्रधानाध्यापक से अभिप्रेत है उप-शास्त्री स्तर तक के किसी भी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का प्रधान जिसका पदनाम जो भी हो।

(ख) "शिक्षक" से अभिप्रेत है किसी भी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय का शिक्षक।

(ग) "शिक्षकेतर कर्मचारी" से अभिप्रेत है शिक्षकों को छोड़कर अन्य सभी पूर्णकालिक कर्मचारी।

(घ) "विद्यालय" से अभिप्रेत है मान्यता-प्राप्त उप-शास्त्री स्तर तक के निम्नलिखित अराजकीय संस्कृत विद्यालय—(1) प्राथमिक संस्कृत

विद्यालय, (2) मध्य संस्कृत विद्यालय, (3) माध्यमिक संस्कृत विद्यालय, (4) उच्चतर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय।

(ङ) "परिषद्" से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद्।

(च) "समिति" से अभिप्रेत है किसी मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय की प्रबन्ध समिति।

(छ) "मान्यता प्राप्त" से अभिप्रेत है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग या बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त।

अध्याय—3

1. विद्यालय-प्रबन्ध-समिति का संघटन—(1) "उप-शास्त्री" स्तर तक के प्रत्येक मान्यता-प्राप्त अराजकीय संस्कृत विद्यालय के लिये निम्नांकित सदस्यों को मिलाकर एक प्रबन्ध समिति का संघटन होगा—

(क) संबद्ध विद्यालय का प्रधानाध्यापक—पदेन,

(ख) एक शिक्षक प्रतिनिधि, जिसे प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के शिक्षकों में से उस विद्यालय में शिक्षण-सेवा अवधि के आधार पर वरीयता के अनुसार वार्षिक चक्रानुक्रम के द्वारा मनोनीत करें।

(ग) स्थानीय विधान सभा सदस्य/परिषद् सदस्य (यदि उस क्षेत्र में हो) तथा लोक सभा सदस्य और राज्य सभा सदस्य (यदि उस क्षेत्र में हो) तथा क्षेत्रीय प्रखंड विकास पदाधिकारी या संस्कृत परिषद् द्वारा मनोनीत अन्य कोई पदाधिकारी।

(घ) दो दाता सदस्य, जिन्होंने चल या अचल सम्पत्ति के रूप में अथवा दोनों रूपों में न्यूनतम दो हजार रुपये विद्यालय को दान दिया हो, किन्तु चल सम्पत्ति के रूप में दी गई दान राशि विद्यालय के पास बुक में जमा की गई हो तथा अचल सम्पत्ति के रूप में दी गई सम्पत्ति का उपयोग विद्यालय में हो रहा हो और वह विद्यालय प्रबन्ध-समिति के पूर्ण नियंत्रण में हो। दाता सदस्यों की घोषणा (आजीवन दाता एवं सामान्य दाता) आवश्यक छानबीन कर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् करेंगे।

(ङ) दो अभिभावक प्रतिनिधि, जो संबद्ध विद्यालय के ऐसे नियमित छात्र का अभिभावक हो जो कम-से-कम एक वर्ष से उस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हो और जो उस विद्यालय का शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी नहीं हो।

(च) दो शिक्षा-प्रेमी, जिनमें एक संस्कृत का लब्धप्रतिष्ठित विद्वान हो, यदि संस्कृत का लब्धप्रतिष्ठित विद्वान उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर किसी संस्कृतानुरागी विद्वान को लिया जा सकेगा।

उपर्युक्त 9 सदस्यों की विद्यालय प्रबन्ध समिति संघटित की जायेगी।

2. दाता सदस्य—

(क) जहाँ दो से अधिक दाता हों वहाँ प्रत्येक तीन वर्ष पर चक्रानुक्रम से दाता सदस्य चुने जायेंगे, प्रथमतः दाताओं के द्वारा दी गई दान-राशि के आधिक्य को आधार मानकर और दान राशि समान रहने पर दान को तिथि की अथवा तिथि की समानता में लौटरी पद्धति को आधार मानकर सदस्य-चयन में प्राथमिकता का क्रम निश्चित होगा।

(ख) जहाँ दाता सदस्य उपलब्ध नहीं होंगे, वह पद तब तक रिक्त होगा जब तक उक्त कोटि के दाता उपलब्ध नहीं होंगे।

(ग) दाता सदस्य के रूप में वैसे लोग भी सदस्य हो सकेंगे जो न्यूनतम दो हजार रुपये अधिकतम चार किश्तों में दो वर्षों के भीतर विद्यालय को सप्रमाण दान देंगे किन्तु दान राशि पूरी होने के बाद ही वे सदस्य होने के अधिकारी माने जायेंगे।

3. आजीवन सदस्य—इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के बाद जो व्यक्ति कम-से-कम 25 हजार रुपये की चल या अचल सम्पत्ति के रूप में या दोनों रूप में विद्यालय को सप्रमाण दान देगा अथवा दिया होगा वह विद्यालय प्रबन्ध समिति का आजीवन सदस्य होगा। आजीवन सदस्य एक से अधिक भी हो सकेंगे।

4. प्रबन्ध समिति के संघटन की प्रक्रिया—

(क) बिहार गजट में इस नियमावली के प्रकाशन के पश्चात और बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश की संसूचना के पन्द्रह दिनों के भीतर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विधायक या सरकारी पदाधिकारी अथवा प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कुल तीन सदस्यों की नामिका, जहाँ एक ही दाता सदस्य हो, वहाँ कुल चार सदस्यों की नामिका तथा जहाँ दो दाता सदस्य हों, वहाँ पाँच सदस्यों की नामिका बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् को अनुमोदनार्थ भेजी जायेगी। उक्त नामिका विद्यालय का प्रधानाध्यापक निबंधित डाक द्वारा भेजेगा।

(ख) बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नामिका की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर निश्चित रूप से प्रधानाध्यापक अनुमोदित सदस्यों को कम-से-कम एक सप्ताह का सप्रमाण पूर्व सूचना देकर विद्यालय भवन में बैठक का आयोजन करेगा जिसमें दो अभिभावक प्रतिनिधि और दो शिक्षा-प्रेमी सदस्यों का चयन किया जायेगा। शिक्षा-प्रेमी सदस्यों में एक लब्ध-प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान का चयन आवश्यक होगा। यदि लब्ध-प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान उपलब्ध नहीं हो तो उसके स्थान पर किसी संस्कृतानुरागी विद्वान को लिया जा सकेगा।

(ग) उक्त बैठक में अनुमोदित सदस्यों में से एक अध्यक्ष होगा जिसकी अध्यक्षता में चयन कार्य सम्पन्न किया जायेगा। अध्यक्ष सहित तीन या पाँच अनुमोदित सदस्यों की स्थिति में पक्ष-विपक्ष में समान मत होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। चार अनुमोदित सदस्यों की स्थिति में, अध्यक्ष अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर सकेगा।

(घ) उक्त चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के 15 दिनों के भीतर सभी सदस्यों की कम-से-कम एक सप्ताह की सप्रमाण पूर्व सूचना देकर प्रधानाध्यापक विद्यालय-भवन में बैठक का आयोजन करेगा। उपस्थित सदस्यों में से कोई एक इस बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसमें विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और सचिव का चुनाव सर्वसम्मति या बहुमत से किया जायेगा। इस बैठक में न्यूनतम पाँच सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। प्रधानाध्यापक और शिक्षक प्रतिनिधि विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष या सचिव नहीं चुने जायेंगे।

(ङ) संघटित विद्यालय प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची एक सप्ताह के भीतर प्रधानाध्यापक निबंधित डाक से बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् को अनुमोदनार्थ भेज देगा। बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् 21 दिनों के भीतर अनुमोदन भेज देगी। अनुमोदन के पश्चात ही विद्यालय प्रबन्ध समिति अपना कार्य आरम्भ कर सकेगी। अनुमोदित विद्यालय प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। प्रत्येक तीन वर्ष के बाद समिति का संघटन या पुनः संघटन किया जायेगा।

(च) जब तक इस नियमावली के अनुसार विद्यालय प्रबन्ध समिति का या उसके स्थान पर तदर्थ समिति का संघटन नहीं हो जाता, विद्यालय की पुरानी प्रबन्ध समिति संस्कृत शिक्षा परिषद् की अनुमति से कार्य करती रहेगी परन्तु पुरानी प्रबन्ध समिति का कार्यकाल अधिक-से-अधिक 6 माह के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

अध्याय—4

1. विद्यालय प्रबन्ध समिति के कृत्य और शक्तियाँ—राज्य सरकार के शिक्षा विभाग और बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा पारित नियमों, आदेशों तथा समय-समय पर दिये जानेवाले निर्देशों के अधीन विद्यालय प्रबन्ध समिति को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी और वह ऐसे सभी कृत्यों का प्रयोग करेगी जो विद्यालय के समुचित प्रबन्ध और प्रशासन एवं विकास के लिये आवश्यक हो। इसके अतिरिक्त प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(क) ऐसी कोई चल या अचल सम्पत्ति जो विद्यालय के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, दान लेना, क्रय करना या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा

धन अर्जित करना और विद्यालय के लिये भवन निर्माण, निर्मित भवन में परिवर्त्तन, मरम्मत या विकास कार्य पर व्यय करना तथा विद्यालय सम्पत्ति को संरक्षण प्रदान करना,

(ख) विद्यालय के प्रयोजनार्थ अनुदान, चन्दा और दान प्राप्त करना,

(ग) वैसे सभी धन, जो उसे अनुदान, दान और अन्य स्रोत से उपलब्ध हो उसका उचित लेखा एवं सुसंगत अभिलेख रखना, लेखा का वार्षिक विवरण तैयार करना तथा विद्यालय की लेखा संपरीक्षा कराना,

(घ) व्यय को उपलब्ध निधि के भीतर विनियमित कराना,

(ङ) छात्रवृत्ति, पारितोषिक आदि के लिये सरकारी अनुदान के अतिरिक्त धन की व्यवस्था करना,

(च) छात्रावास की स्थापना, विद्यालय के लिये क्रीड़ा भूमि, उपस्करों एवं पुस्तकालय की सम्यक व्यवस्था करना,

(छ) ऐसी उप-समितियाँ संघटित करना जिन्हें वह आवश्यक समझे,

(ज) विद्यालय की ओर से सभी वैधानिक कार्यवाहियाँ करना और अनुचित आरोपों का प्रतिवाद करना,

(झ) विद्यालय के लिये और उसकी ओर से करार करना,

(ट) विद्यालय में अनुशासन कायम रखना और शैक्षणिक स्तर के उन्नयन के लिये प्रधानाध्यापकों को समुचित सलाह देना,

(ठ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति अवकाश आदि के मामले में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचित अराजकीय संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिये सेवा शर्त्तें नियमावली, 1976 के आलोक में कार्य करना,

(ड) वैसे सभी कार्य करना जो विद्यालय के हित में आवश्यक हो।

2. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सचिव के कृत्य और शक्तियाँ—

(क) विद्यालय प्रबन्ध समिति के सचिव के कृत्य और शक्तियाँ वे ही होंगी, जो इस नियमावली के अध्याय 4 में वर्णित है और जिनका प्रयोग सचिव प्रबन्ध समिति के परामर्श से कर सकेगा।

(ख) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक सचिव, कम-से-कम दस दिनों की पूर्व सूचना देकर बुलायेगा। विशेष स्थिति में तीन दिनों की पूर्व

सूचना देकर समिति की असाधारण बैठक बुला सकेगा। निश्चित तिथि और समय की पूर्व सूचना के साथ समिति की साधारण या असाधारण बैठक विद्यालय भवन में ही हुआ करेगी।

(ग) बिहार राज्य अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय सेवा शर्त्तें नियमावली 1976 के अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के आलोक में प्रधानाध्यापक के आकस्मिक अवकाश को सचिव स्वीकृत करेगा।

3. विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के कृत्य और शक्तियाँ—

(क) अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति की साधारण/असाधारण सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) समिति की बैठक में समान मत आने पर अध्यक्ष अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा जो निर्णायक होगा।

(ग) सचिव यदि विद्यालय की प्रबन्ध समिति की बैठक समय पर नहीं बुलावे और यदि विद्यालय के हित में बैठक बुलाया जाना आवश्यक प्रतीत हो तो प्रधानाध्यापक के परामर्श से अध्यक्ष बैठक बुला सकेगा।

(घ) समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित होगा, जो उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

अध्याय—5

1. तदर्थ समिति—

(क) बिहार गजट में इस नियमावली के प्रकाशन और परिषद् द्वारा विद्यालयों को प्रबन्ध समिति के संघटन के आदेश की संसूचना प्राप्ति तिथि से 90 दिनों के भीतर विद्यालय प्रबन्ध समिति का संघटन आवश्यक होगा। उक्त अवधि के भीतर जिस विद्यालय में प्रबन्ध समिति का संघटन नहीं किया जायेगा उसे एक मास का समय देकर परिषद् स्पष्टीकरण की मांग करेगी और उक्त अवधि के भीतर स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होने अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव की स्थिति में परिषद् को अधिकार होगा कि वह वहाँ विद्यालय प्रबन्ध समिति के स्थान पर तदर्थ समिति संघटित कर दे।

(ख) तदर्थ समिति की शक्तियां और कृत्य वे ही होंगे जो विद्यालय प्रबन्ध समिति के लिये इस नियमावली में निर्दिष्ट किये गये हैं।

(ग) तदर्थ समिति में कुल तीन या पांच सदस्य होंगे जिनमें एक सचिव और एक अध्यक्ष होगा। प्रधानाध्यापक भी इसका सदस्य हो

सकेगा किन्तु वह सचिव या अध्यक्ष नहीं होगा। तदर्थ समिति का कार्यकाल अधिकतम 6 मास होगा। विशेष परिस्थिति में छः-छः मास की अवधि दो बार बढ़ायी जा सकेगी।

2. विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जब परिषद् को प्रतीत हो कि किसी विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने इस नियमावली में विनिर्दिष्ट नियमों उपनियमों के द्वारा या उसके अधीन इस पर आरोपित कर्त्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरती है, या वह विद्यालय के समुचित प्रबन्ध में असफल रही हो और लोकहित में ऐसे विद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करना आवश्यक हो गया हो तब वह ऐसे विद्यालय को प्रबन्ध समिति को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अधिकतम 30 दिनों का अवसर देकर, और उसकी बातों को लिखित रूप में प्राप्त कर, स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर ऐसे विद्यालय की प्रबन्ध समिति का विघटन कर, तदर्थ समिति संघटित कर देगी और कितनी अवधि के बाद नई प्रबन्ध समिति प्रबन्ध ग्रहण कर लेगी यह निश्चित करेगी किन्तु इस प्रकार की अवधि कुल डेढ़ वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) विशेष परिस्थिति में, यदि परिषद् आवश्यक समझे तो ऐसे विद्यालय की प्रबन्ध समिति को तबतक के लिये निलंबित कर सकेगी, जब तक प्रबन्ध समिति के विघटन के संबंध में निर्णय नहीं हो जाता। ऐसे विद्यालय का प्रबन्ध परिषद् द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा होगा।

3. विद्यालय प्रबन्ध समिति के संघटन के संबंध में विवाद का निपटारा—इस नियमावली के अध्याय 3 में वर्णित विद्यालय प्रबन्ध समिति के संघटन से संबद्ध नियमों में उलट फेर या उनकी अवहेलना से व्यथित पक्ष विद्यालय प्रबन्ध समिति के संघटन के बाद 15 दिनों के भीतर परिषद् के पास आरोप-पत्र प्रस्तुत कर सकेगी, उस अवधि के बाद उसकी सुनवाई नहीं होगी। नियत अवधि के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसकी छानबीन के पश्चात परिषद् पक्ष-विपक्ष की बातें सुनकर अपना निर्णय देगी, जो अंतिम होगा।

4. विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक—सामान्यतः वर्ष में विद्यालय प्रबन्ध समिति की चार बैठकें हुआ करेंगी। न्यूनतम चार सदस्यों की उपस्थिति किसी भी बैठक में आवश्यक होगी। पदेन दाता तथा आजीवन सदस्यों को छोड़कर यदि कोई सदस्य लगातार समिति की तीन बैठकों में बिना समुचित कारण के अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उस रिक्ति में यथाविधि नये सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी। अनुपस्थिति के कारण के औचित्य पर भी समिति ही निर्णय लेगी और वह निर्णय अंतिम होगा।

5. दाता सदस्यों द्वारा प्रतिनिधि की व्यवस्था—यदि दाता सदस्य चाहें तो

विद्यालय प्रबन्ध समिति की पूरी अवधि के लिये वे अपने स्थान पर किसी को प्रतिनियोजित कर सकेंगे।

6. विद्यालय की स्थायी सम्पति का विनिमय और विक्रय—विद्यालय के विशेष हित को ध्यान में रखते हुये यदि उसकी स्थायी सम्पत्ति का विनिमय या विक्रय आवश्यक प्रतीत हो तो विद्यालय प्रबन्ध समिति परिषद् की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही ऐसा कर सकेगी किन्तु विनिमय या विक्रय से होनेवाले लाभ को सप्रमाण परिषद् को सूचित करना उसके लिये आवश्यक होगा।

6 (क) विद्यालय के सभी अभिलेख विद्यालय कार्यालय में ही सुरक्षित रखे जायेंगे।

7. (क) नियमावली में परिवर्त्तन-परिवर्द्धन—इस नियमावली के नियमों और उपनियमों में परिवर्त्तन और परिवर्द्धन आवश्यकतानुसार बिहार संस्कृत शिक्षा परिषद् राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त कर सकेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

ह०-/प्रणवशंकर मुखोपाध्याय,

सरकार के विशेष सचिव।

———